

(2) **स्वयं रोजगार हेतु सहायता**
Assistance to Women for Self Employment

- उद्देश्य** महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए काम-धन्धा करने हेतु प्रोत्साहित कर के उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- पात्रता** ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 7500/-रु० से अधिक न हों।
- सहायता** 2500/-रु० प्रति महिला आर्थिक सहायता।
- प्रक्रिया** इच्छुक महिला निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित आय प्रमाण पत्र सहित आवेदन कर सकती है।
- सम्पर्क अधिकारी** जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।